


न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- 84/2019

तारीखरजू:- 25/7/19

उनवान:- नवले राम बनाम रमेश वगै०

दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा धारा 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
25/7/19	वादी की और से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 26.8.19 को पेश हो।  <p style="text-align: right;">                       उप जिला कलक्टर                      टोडाभीम जिला करौली                 </p>
26.8.19	वादी वकील उप०। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं है। 8.0.सा. डाकबाहा पर पत्रों की बास्ते अग्रिम कोर्ट को पेश करे। 20.9.19 को पेश हो।
20.9.19	वादी वकील उप०। प्रतिवादी बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं है। उनके विरुद्ध एक पक्षीय आपवाही की जाती है। वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 17.10.19 को पेश हो।
17.10.19	वादी वकील उप०। वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 1-11-19 को पेश हो।
1-11-19	वादी वकील उप०। प्रतिवादीगण की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा Adv. ने बकालतनामा के साथ आपत्रा पत्र 08 R.7 ePC पेश किया। आपत्रा की प्रति वादी वकील ने प्राप्त की। 8.0.सा. बाहर पत्रों है। दल का जबाब पेश करने दिनांक 13.11.19 को पेश हो।
13.11.19	कमलाय उप०। गतानुसार दल का जबाब पेश करने दिनांक 16.12.19 को पेश हो।

2897-2900  
25/7/19

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला क

मु.नं. 84/19

उन्वान नवले वनाम रोसा वेंक्रे दावा


नांके

फर्द अहकाम

16.12.19

फॉर्म में शरीर नाम  
होगा पारि  
जुष्ट है  
NOT Press  
(S)  
161219

वादी वकील ने उपस्थित होकर पक्षकारों में राजीनामा  
हो जाने के कारण मुकदमा खारिज करने का प्रार्थना पत्र  
पेश कर NOT-Press कर मुकदमा खारिज करने का  
काम किया। अतः यह दावा NOT Press में खारिज  
किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बरों  
से कम होकर दाखिल दफतारों।

  
उपजिला कलक्टर  
टोडाभीम (करौली)

